राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1)विभाग

क्रमांकः प. 5(2)एम.ई. / ग्रुप–1 / 2000 जयपुर, दिनांक 21 DEC 2015

परिपत्र

पूर्व में जारी समसंख्यक परिपत्र दिनांक 11.8.2015 के अतिक्रमण में राज्य में निजी चिकित्सा महाविद्यालय / दन्त महाविद्यालय स्थापित किये जाने हेतु एसेन्सियेलिटी सर्टिफिकेट कम फिजीबिलिटी और डिजाईरेबल्टि सर्टिफिकेट जारी करने के निम्न दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैः–

1. **आशय पत्र जारी करने हेतु अर्हतायें**

प्रथम स्तर पर प्रस्ताव का परीक्षण कर आशय पत्र दिया जावेगा। आशय पत्र के लिये आवेदक निर्धारित परिपत्र में आवेदन पत्र निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करेगें।

1.1 आशय पत्र हेतु आवेदन की पात्रता

नया आयुर्विज्ञान महाविद्यालय / दन्त कॉलेज स्थापित करने की अनुमति के लिये निम्न आवेदन करने के पात्र होगेः–

1. राज्य सरकार / संघ शासित क्षेत्र
2. विश्वविद्यालय
3. केन्द्र और राज्य सरकार के द्वारा अथवा विधान द्वारा समर्थित स्वायत्त निकाय जो आयुर्विज्ञान शिक्षा के प्रयोजन के लिये हैं।
4. सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) अथवा राज्यों के तद्नुरूपी अधिनियमों के अन्तर्गत पंजीकृत सोसायटियां अथवा।
5. न्यास अधिनियम 1882 (1882 का 2) अथवा अधिनियम 1954 (1954 का 29) के अधीन पंजीकृत सार्वजनिक धार्मिक अथवा धर्मार्थ न्यास।
6. कम्पनी एक्ट के अध्ययधीन पंजीकृत कम्पनियां जो व्यवसायिक उद्देश्य से कॉलेज की स्थापना नही करती हो

1.2 आशय पत्र हेतु प्रार्थना पत्र

चिकित्सा महाविद्यालय एवं दन्त महाविद्यालय हेतु निर्धारित आवेदन पत्र चिकित्सा शिक्षा विभाग शासन सचिवालय, जयपुर से 500 रू. फीस राजकीय खातें में जमा करवाकर प्राप्त कर सकेगे।

1.3 आशय पत्र हेतु अर्हता मानदण्ड

आवेदक यदि निम्नलिखित शर्त पूरी करते है तो उन्हें निर्धारित प्रार्थना पत्र मय सम्बन्धित दस्तावेजों के प्रस्तुत करने पर आशय पत्र जारी करने पर विचार किया जावेगा।

1. पैरा 1.1 अनुसार पात्रता रखते हो।
2. आवेदक के पास चिकित्सा महाविद्यलाय हेतु 20 एकड क्षेत्रफल का समुचा एक भूखण्ड का स्वामित्व और कब्जा हो या फिर 99 वर्ष का पट्टा हो।
3. आवेदक के पास दन्त महाविद्यालय हेतु 5 एकड़ क्षेत्रफल का समुचा एक भूखण्ड का स्वामित्व और कब्जा हो या फिर 99 वर्ष का पट्टा हो।
4. आवेदन पत्र के साथ निम्न सूचनायें आवश्यक रूप से लगानी होगीः–
   1. संस्था के वाईलॉज / मेमोरेण्डम एवं संस्था के अनुच्छेद ट्रस्ट डीड इत्यदि की सत्यापित प्रति सुपाठ्य सुसगत हो।
   2. पंजीयन की सत्यापित प्रति।
   3. पिछले तीन वर्ष की अंकेक्षित बैलेस शीट।
   4. भूमि के स्वामित्व सम्बन्धी सत्यापित प्रति।
   5. भूमि के साइट प्लान / जोनिग प्लान की सत्यापित प्रति।
   6. भूमि को अकृषि कार्य हेतु उपयोग में लेने सम्बन्धी सक्षम प्राधिकारी का अनुमति पत्र।
   7. प्रोजेक्ट रिपोर्ट जिसमें विशेष तौर पर महाविद्यालय के विकास का रोड मेप व वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था का पूर्ण उल्लेख हो।
   8. राज्य सरकार के पत्राचार करने तथा हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत अधिकारी / व्यक्ति के सम्बन्ध में सोसायटी द्वारा पारित प्रस्ताव।
   9. महाविद्यालय स्थापित करने का औचित्य एवं आवश्यकता।

10. आवदेन के साथ मेडिकल कॉलेज के लिये 50,000/– रूपये तथा दन्त कॉलेज के लिये 30,000/– रूपये एवं फार्मेसी कॉलेज की लिये 20,000/– रूपये का डिमाण्ड ड्राफ्ट उप शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा के नाम अथवा निदेशालय के बजट हैड में चालान के माध्यम से आवेदन शूल्क के रूप में जमा कराना होगा। यह राशि वापिस नहीं होगी।

1.4 जिन जिलों में दन्त व चिकित्सा महाविद्यालय नहीं है तो ऐसे क्षेत्रों एवं आदिवासी, पिछडे हुये व दुरस्थ जिलों को प्राथमिकता दी जायेगी।

1.5 **आशय पत्र जारी किया जाना।**

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने के 45 दिन के भीतर यदि प्रार्थी समस्त शर्ते पूरी करता है तो उसे परिशिष्ट–1 में दिये गये प्रपत्र में आशय पत्र जारी किया जावेगा। आशय पत्र जारी होने के दो वर्ष के अन्दर–अन्दर प्रार्थी को डीसीआई व एमसीआई के निर्धारित मापदण्डों अनुसार भवन चिकित्सालय वं अन्य आधारभूत सुविधाये स्थापित करनी होगी। जब आधारभूत ढ़ांचा बनकर तैयार हो जावे तो प्रार्थी राज्य सरकार को लिखित में सूचना प्रस्तुत करेंगा। यदि दो वर्ष में आधारभूत ढ़ांचा तैयार नहीं हुआ तो आशय पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

2. एसेन्सियेलिटी सर्टिफिकेट कम फिजीबिलिटी एंव डिजाइरेबिलिटी सर्टिफिकेट जारी करने हेतु अर्हतायेः–

2.1 आधारभूत ढ़ाचें की पूर्ति की स्वीकृति प्राप्त होने पर राज्य सरकार एक निरीक्षण समिति का गठन करेगी जो प्रार्थी द्वारा दी गई सूचना का भौतिक सत्यापन 15 दिन में करके रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करेगी।'' तत्पश्चात आवेदक द्वारा विभाग को एक प्रस्तुतीकरण एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। आवेदक के प्रस्तुतीकरण पर निम्न विभागीय समिति आवेदक/संस्था को मेडिकल/दन्त कॉलेज खोलने के लिये Essentiality Certificate-cum-Feasibility & Desirability Certificate जारी करने सम्बन्धी सिफारिश पर विचार करेगीः–

1.	प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा	अध्यक्ष
2.	संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग	सदस्य सचिव
3.	संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव, वित्त विभाग (प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग द्वारा मनोनित)	सदस्य
4.	प्रधानाचार्य, मेडिकल कॉलेज, जयपुर	सदस्य
5.	प्रधानाचार्य, राजकीय दन्त महाविद्यालय, जयपुर	सदस्य
6.	निदेशक/अतिरिक्त निदेशक, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय	सदस्य

2.2 उपरोक्त समिति Essentiality Certificate-cum-Feasibility & Desirability Certificate जारी करने सम्बन्धी निम्न तथ्यों पर विचार कर अपनी सिफारिश राज्य सरकार को प्रस्तुत करेंगीः–

2.2.1 आवेदक ने एमसीआई व डीसीआई द्वारा निर्धारित आधारभूत ढ़ाचें सम्बन्धी मापदण्डों की पूर्ति कर ली है।

2.2.2 आवेदक चिकित्सा महाविद्यालय के लिये 300 बिस्तरो से अधिक का अस्पताल प्रस्तावित चिकित्सा महाविद्यालय परिसर में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा यथा निर्धारित आवश्यक आधारभूत संरचनात्मक सुविधाओं सहित स्वामित्व रखता हैं, और प्रबन्धन करता है और शिक्षण संस्था के रूप में विकसित करने की क्षमता रखता हैं।

2.2.3 आवेदक दंत महाविद्यालय के लिये 100 बिस्तरों से अधिक का अस्पताल प्रस्तावित दन्त महाविद्यालय परिसर में भारतीय दन्त परिषद द्वारा यथा निर्धारित आवश्यक आधारभूत संरचनात्मक सुविधाओं सहित स्वामित्व रखता हैं, और प्रबन्धन करता है और शिक्षण संस्था के रूप में विकसित करने की क्षमता रखता हैं।

2.2.4 प्रार्थी चिकित्सा महाविद्यालय/दन्त महाविद्यालय स्थापित करने हेतु वित्तीय तौर पर सक्षम हैं।

2.2.5 प्रार्थी द्वारा अण्टरटैकिंग प्रस्तत कर दी है किः–

(i) एमसीआई / डीसीआई से अनुमति प्राप्त होते ही वह निर्धारित मापदण्डों के अनुसार शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति करेगा।

(ii) एमसीआई / डीसीआई की अनुमति प्राप्त होने पर वह विश्वविद्यालय से सम्बन्धता प्राप्त होने के पश्चात ही निर्धारित प्रकिया के अनुसार विधार्थियों को प्रवेश देगा।

2.2.6 समिति द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर माननीय मंत्री जी एवं मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त कर एमसीआई व डीसीआई द्वारा निर्धारित प्रपत्र कमशः (परिशिष्ट–2 एवं 3) में Essentiality Certificate-cum-Feasibility & Desirability Certificate जारी किया जावेगा।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

आज्ञा से,

(डॉ0 एस.पी.सिंह)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी।
2. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी / राज्यमंत्री जी।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा।
4. रजिस्ट्रार, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर।
5. सचिव, भारतीय चिकित्सा परिषद, एवान–ए गालिब, मार्ग, कोटला रोड़ रॉयल लेन, नई दिल्ली।
6. सचिव, भारतीय दन्त परिषद, नई दिल्ली।
7. समस्त प्रधानाचार्य, मेडिकल कॉलेज़।
8. प्रधानाचार्य राजकीय दन्त कॉलेज, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव